स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1996

शुद्धि पत्र

सा. का. नि. 426 :—इस मंत्रालय की दिनांक 30-4-1996 की अधिसूचना संख्या ए. 12018/9/95/-लेप सीसी डी में सा. का. नि. सं. 217 में संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ शीर्षक अधीन भर्ती के नियम, 1995 के स्थान पर भर्ती नियम 1996 पढ़ें।

[संख्या ए. 12018/9/95—लेप. /सी. सी. डी]
एस. के. गड्डी, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 11th September, 1996

G.S.R. 426.—In this Ministry's notification No. A. 12018/9/95-Lep/CCD dated 30-4-1996 G.S.R. No. 217 under short title and commencement head or Recruitment Rules, 1995, read Recruitment Rules, 1996.

[No. A. 12018/9/95-Lep/CCD]
S. K. GADI, Under Secy.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 1996

सा.का.नि.—427 राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, कनिष्ठ तकनीकी सहायक (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1996 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वही होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है, अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सेवा में जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं। |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| कनिष्ठ तकनीकी सहायक | छह* (1996) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन अध्यधीन | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग", अराजपत्रित अननुसचिवीय | 1400-40-1800-द.रो.-50-2300 रुपये | लागू नहीं होता | नहीं |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा | सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं। | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। |
|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18 से 25 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए, साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष तक की जा सकती है)<br>टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अन्तिम तारीख, जो असम, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियके लिए विहित की गई है)। यदि भर्ती रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जा रही है तो आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालयों से अभ्यर्थियों के नाम भेजने के लिए कहा गया है। | 1. अनिवार्य :<br>(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान या गणित या सांख्यिकी में बेचलर डिग्री<br>या<br>(ख) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से इंजीनियरी में डिप्लोमा।<br>2. वांछनीय :<br>भारत सरकार के इलैक्ट्रानिक विभाग की कम्प्यूटर स्कीम के प्रत्यायन के अधीन प्राप्त "ए" स्तर उन्नत डिप्लोमा।<br>या<br>भारत सरकार के इलैक्ट्रानिक विभाग की कम्प्यूटर पाठ्यक्रम स्कीम के प्रत्यायन के अधीन "ओ" स्तर प्रमाणपत्र और कम्प्यूटर कार्यक्रमण पर कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव। | लागू नहीं होगा | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष। |

| भर्ती की पद्धति. भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा। | यदि विभागीय/प्रोन्नति चयन समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना होगा। |
|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 |
| प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/स्थानांतरण द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। | प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/स्थानांतरण द्वारा केन्द्रीय/राज्य सरकारों/लोक क्षेत्र के उपक्रमों/कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :—<br>(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या<br>(ii) जिन्होंने 1200-2040 रुपए के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष की नियमित सेवा की है, और जिनके पास स्तम्भ (8) में उल्लिखित अर्हताएं हैं। | 1. निदेशक (प्रशासन)—अध्यक्ष;<br>2. प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी—सदस्य;<br>3. अवर सचिव (प्रशासन)—सदस्य;<br>4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी जो अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो। | लागू नहीं |

[फा.सं. 6(1)96-प्रशा./डीएसआईआर]

सुखदेव सिंह बसरा, अवर सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Scientific and Industrial Research)

New Delhi, the 23rd September, 1996

G.S.R. 427.—In exercise of the powers conferred by the provist to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Technical Assistant in the Department of Scientific and Industrial Research, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Department of Scientific and Industriall Research, Junior Technical Assistant (Group 'C' post) Recruitment Rules, 1996.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the post, its classificatitn and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit qualifications and other matters relating to the said post shall be as special in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient, so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relexation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of the Post | Number of Post | Classification | Scale of Pay | Whether Selection post or non-selection post | Whether the benefit of added years of service is admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Junior Technical Assistant | Six* 1996 *Subject to variation dependent on work-load. | General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial. | Rs. 1400-40-1800-EB-50-2300. | Not appliable. | No |

| Age limit for direct recruits | Educational and other Qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation if any |
|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 |
| Between 18 and 25 years.<br>(Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and 45 years in the case of candidates belonging to Scheduled castes and Scheduled Tribes).<br><br>Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul District and Pangi Sub-Division of Chamba District in Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep). In case recruitment being made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange have been asked to submit the names of the candidates. | 1. Essential :<br>(a) Bachelor's Degree in Science or Mathematics or Statistics from a recognised University<br>OR<br>(b) Diploma in Engineering from a recognised Institution.<br><br>2. Desirable :<br>'A' level Advanced Diploma obtained under the accreditation of Computer Courses Scheme of Department of Electronics, Governmet of India.<br>OR<br>'O' level Certificate obtained under the Accreditation of Electronics, Government of India and one year on the job experience on computer programming. | Not applicable | Two years for direct recruits. |

| Mode of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods | In the case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer is to be made | If a Department Promotion/Selection Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 |
| By transfer on deputation/transfer, failing both, by direct re- | By transfer on deputation/transfer :<br>Officers under the Central/State | (i) Director (Administration)—Chairman.<br>(ii) Principal Scientific Officer— | Not Applicable |

| 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|
| cruitment. | Governments/Public Sector Undertakings/Statutory or Autonomous Organisations,—<br>(i) holding analogous posts on regular basis; or<br>(ii) with five yeas' regular service in posts in the scale of Rs. 1200-2040, or equivalent and possessing qualifications mentioned in column (8). | Member.<br>(iii) Under Secretary (Administration)—Member.<br>(iv) An officer belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe not below the rank of Under Secretary—Member. | |

[F. No. 6(1)/96-Admn./DSIR)]
G. S. BASRAN, Under Secy.

संचार मंत्रालय

(दूर संचार विभाग)

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1996

सा. का. नि. 328.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बेतार योजना और समन्वय तथा मानीटरी संगठन (तकनीकी अधिकारी और कर्मचारीवृन्द) भर्ती नियम, 1960 को, जहां तक उनका संबंध बेतार सलाहकार के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, बेतार योजना और समन्वय तथा मानीटरी संगठन में बेतार सलाहकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, बेतार योजना और समन्वय तथा मानीटरी संगठन (बेतार सलाहकार) भर्ती नियम, 1996 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति आयु सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है—
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।